सुरेशचंद्र बागमल दोशी और अन्य

बनाम

न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और अन्य

(सिविल अपील क्रमांक 5206 वर्ष 2016)

अप्रैल 18, 2018

[चेलमेश्वर और संजय किशन कौल, न्यायमूर्ति]

मोटर वाहन अधिनियम, 1988 - मोटर दुर्घटना - मुआवजे का पुरस्कार - भविष्य की आय में वृद्धि - की गणना - मुआवजा पीड़ित 25 वर्षीय विधवा की मोटर दुर्घटना में मृत्यु - पीड़िता एक योग्य इंजीनियर थी, जिसका मासिक वेतन 6,273/- रुपये था। माता-पिता द्वारा दावा याचिका - ट्रिब्यूनल ने मुआवजे के रूप में 15,71,000/- रुपये दिए, जिसमें भविष्य में आय में वृद्धि के लिए 100 प्रतिशत जोड़ा गया, व्यक्तिगत खर्चों के लिए 1/3 काटा गया और 16 का गुणक लागू किया गया - अपील में, उच्च न्यायालय ने भविष्य में आय में वृद्धि को 50 प्रतिशत माना, व्यक्तिगत खर्चों के लिए 50 प्रतिशत की कटौती की, 18 का गुणक लागू किया और 10,72,360/- रुपये दिए - अपील पर, कहा गया: यदि साक्ष्य इस प्रकार है तो मानकीकृत प्रतिशत में परिवर्तन किया जा सकता है - न्यायाधिकरण का मूल्यांकन प्रस्तुत साक्ष्यों पर आधारित है - तथ्यों के आधार पर, ट्रिब्यूनल ने 100 प्रतिशत वृद्धि और भविष्य की संभावनाओं को 12,000 रुपये प्रति माह लेने को उचित ठहराया - जहां तक कटौती के प्रतिशत का संबंध है, यह मानते हुए कि मृतक अपने माता-पिता से जीवित है, मृतक के विधवा होने पर 50 प्रतिशत राशि मृतक के व्यक्तिगत और रहने के खर्च के रूप में कटौती की जाएगी - इस प्रकार, उच्च न्यायालय द्वारा व्यक्तिगत खर्चों का प्रतिशत 50 प्रतिशत तक बढ़ाना उचित था - व्यक्तिगत खर्चों के लिए 50 प्रतिशत राशि काटने और भविष्य में आय में वृद्धि के लिए 100 प्रतिशत जोड़ने के बाद, 6,273 रुपये प्रति माह के आंकड़े पर, 18 का गुणक लागू किया जाता है, जो 13,54,968 रुपये की राशि होती है - पारंपरिक मदों के तहत राशि 70,000 रुपये होगी, जो कुल मिलाकर लगभग 14,25,000/- रुपये होगी - ब्याज का पुरस्कार 12% की दर से जारी रहेगा - मुकदमा दो दशकों का है, लागत के रूप में 25,000 रुपये दिए जाएंगे। सरला वर्मा और अन्य बनाम दिल्ली परिवहन निगम और अन्य (2009) 6 एससीसी 121; नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम प्रणय सेठी और अन्य एआईआर 2017 एससी 5157 - संदर्भित।

एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड

केस कानून संदर्भ

(2009) 6 एससीसी 121 पैरा 6 को संदर्भित करता है

एआईआर 2017 एससी 5157 में पैरा 11 का हवाला दिया गया है

अस्वीकरण
"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 5206 वर्ष 2016

गुजरात उच्च न्यायालय, अहमदाबाद का निर्णय एवं आदेश दिनांक 09.02.2015 के विरुद्ध प्रथम अपील क्रमांक 3876 वर्ष 2007 में

मेहल एस शाह, वरिष्ठ अधिवक्ता, हेमल किरीटकुमार शेठ अपीलकर्ताओं के लिए अधिवक्ता।

राजेश कुमार गुप्ता, हेतु अरोरा सेठी उत्तरदाताओं के लिए अधिवक्ता।

न्यायालय का फैसला न्यायमूर्ति संजय किशन कौल द्वारा सुनाया गया।

1. भाग्य क्रूर हो सकता है। यह एक दुखद मामला है जहां एक वकील पति और एक डॉक्टर पत्नी की इकलौती बेटी, जिसकी कम उम्र में शादी हो गई और दुर्भाग्य से कम उम्र में विधवा भी हो गई, की एक वाहन दुर्घटना में मृत्यु हो गई, जो 16.8.1998 को हुई थी। इस दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु के संबंध में माता-पिता (यहाँ अपीलकर्ता) का दावा वर्तमान अपील का विषय है।

2. तथ्यों के विवरण में जाना आवश्यक नहीं है, क्योंकि हमारे सामने सीमित विवाद को देखते हुए वास्तव में उनकी जांच नहीं की जा सकती। दावा इस आधार पर किया गया था कि मृत बेटी मूल प्रतिवादी संख्या 4 की कंपनी में अंतर्राष्ट्रीय आंतरिक बिक्री इंजीनियर के रूप में 6,273 रुपये के मासिक वेतन पर काम कर रही थी। उसके पास बीई (सिविल) योग्यता थी। उनके पति की कम उम्र में शादी के बाद दुर्भाग्य से वर्ष 1996 में मृत्यु हो गई थी और तब से वह अपने माता-पिता, दावेदारों के साथ रह रही थीं। मृतक ने सचिव के प्रारंभिक पद से अपने करियर में तेजी से सफल प्रगति की थी, और दावा मृतक की प्रति माह 25,000 रुपये से अधिक की संभावित कमाई पर आधारित था।

3. हम ध्यान दें कि दुर्घटना के कारण उस वाहन के चालक की मृत्यु हो गई जिसमें मृतक बेटी यात्रा कर रही थी और दुर्घटना का शिकार हुए दो वाहनों में 80 प्रतिशत तक ट्रक चालक और 20 प्रतिशत टाटा सिएरा के कारण अंशदायी लापरवाही का विभाजन था। हालाँकि, इससे हमारे सामने मौजूद माता-पिता के दावे पर कोई असर नहीं पड़ेगा।

4. इसमें कोई विवाद नहीं है कि दुर्घटना के समय मृतक की अनुमानित आय 6,273 रुपये प्रति माह थी। यह न्यायाधिकरण और उच्च न्यायालय दोनों द्वारा तथ्य की खोज है। हालाँकि, ट्रिब्यूनल ने भविष्य में आय में वृद्धि के लिए लगभग 100 प्रतिशत जोड़ा और संभावित आय 12,000 रुपये प्रति माह मानी और मृतक के व्यक्तिगत खर्चों में से 1/3 की कटौती के बाद ट्रिब्यूनल ने निर्भरता के नुकसान या भविष्य के आर्थिक नुकसान का आकलन 8,000 रुपये प्रति माह किया और उसके बाद 16 का गुणक लागू किया गया। इस प्रकार, ट्रिब्यूनल ने निर्भरता लाभ के नुकसान के लिए 15,36,000 रुपये की राशि प्रदान की; संपत्ति की हानि के मद में पारंपरिक राशि के लिए 15,000 रुपये; दिनांक 29.3.2007 के पुरस्कार के अनुसार प्यार और स्नेह की हानि

अस्वीकरण
"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

के लिए 15,000 रुपये और अंतिम संस्कार के खर्च के लिए 5,000 रुपये, कुल मिलाकर 15,71,000 रुपये। दावेदारों को आवेदन की तिथि से प्राप्ति तक पुरस्कार राशि पर 12 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज का भी हकदार माना गया।

5. दोनों पक्ष इस दावे के मूल्यांकन से व्यथित थे और उच्च न्यायालय के समक्ष अपील दायर की, जिसने 9.2.2015 के आक्षेपित फैसले के माध्यम से ट्रिब्यूनल के फैसले को संशोधित किया, जो वर्तमान अपील का विषय है।

6. उच्च न्यायालय ने सरला वर्मा और अन्य बनाम दिल्ली परिवहन निगम और अन्य मामले में इस न्यायालय के फैसले के मद्देनजर भविष्य की आय वृद्धि को 100 प्रतिशत मानने से इनकार कर दिया और इसे 50 प्रतिशत माना।' ट्रिब्यूनल के अनुसार, उच्च न्यायालय ने यह मानते हुए कि दावेदार मृतक के माता-पिता थे, राशि के 1/3 के बजाय व्यक्तिगत खर्चों के लिए 50 प्रतिशत की कटौती की। वास्तव में, आदेश को पढ़ने से पता चलता है कि बीमा कंपनी की ओर से दी गई ये केवल दो दलीलें थीं जिन पर बीमा कंपनी की अपील सफल हुई।

7. हालाँकि, उच्च न्यायालय ने ट्रिब्यूनल द्वारा निर्धारित 16 के बजाय गुणक को 18 पर निर्धारित किया, क्योंकि मृतक की आयु लगभग 25 वर्ष थी, और सरला वर्मा के अनुसार यही उचित गुणक होता। उच्च न्यायालय ने दावेदारों की ओर से की गई दो अन्य दलीलों की भी जांच की, यानी कि संपत्ति के नुकसान के लिए 15,000 रुपये और प्यार और स्नेह के नुकसान के लिए 15,000 रुपये का पुरस्कार अपर्याप्त था।

8. उच्च न्यायालय ने जैसा पूर्वोक्त कहा है, उसे ध्यान में रखते हुए राशि की गणना 10,72,360 रुपये की गई और संपत्ति के नुकसान के मद में 50,000 रुपये की राशि दी गई (2009) 6 एससीसी 121 साथ ही ट्रिब्यूनल द्वारा दिए गए 30,000 रुपये और अंतिम संस्कार के खर्च के लिए 5,000 रुपये के बजाय प्यार और स्नेह की हानि हुई और दिए गए ब्याज को भी बरकरार रखा गया।

9. दावेदार ही हमारे सामने अपीलकर्ता हैं।

10. पार्टियों के विद्वान वकील को सुनने और रिकॉर्ड की जांच करने पर, हम देख सकते हैं कि पार्टियां मृतक की आय का आकलन 6,273 रुपये प्रति माह कर रही हैं। इस प्रकार, सवाल यह है कि क्या ट्रिब्यूनल भविष्य में आय में 100 प्रतिशत की वृद्धि के लिए राशि बढ़ाने में सही था, या उच्च न्यायालय को उक्त राशि को 50 प्रतिशत तक कम करने का अधिकार था।

11. हमें नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम प्रणय सेठी और अन्य मामले में इस न्यायालय की संविधान पीठ के फैसले का लाभ मिला है। सरला वर्मा मामले में टिप्पणियों की जांच करते हुए संविधान पीठ ने भविष्य की संभावनाओं के लिए मृतक के वास्तविक वेतन में 50 प्रतिशत जोड़ने पर अपनी मुहर लगा दी, जहां मृतक के पास स्थायी नौकरी थी और वर्तमान मामले

अस्वीकरण
"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

की तरह 40 वर्ष से कम उम्र का था। हालाँकि, अपीलकर्ता के विद्वान वकील ने विशेष अनुमति याचिका (सिविल) संख्या 22134/2016 और अन्य संबंधित मामलों में दिनांक 22.11.2017 को इस न्यायालय द्वारा पारित एक हालिया आदेश हमारे संज्ञान में लाया है, जिसमें नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड द्वारा व्यक्त किए गए विचारों पर ध्यान दिया गया है। यह देखा गया है कि भविष्य में आय में वृद्धि की गणना के लिए प्रतिशत भविष्य की संभावनाओं को उच्च स्तर पर ले जाने में कोई बाधा नहीं है जहां मूल्यांकन वास्तविक साक्ष्य पर आधारित होता है जिससे ट्रिब्यूनल की संतुष्टि होती है। न्यायालय ने कहा कि भविष्य की संभावनाएँ मानक प्रतिशत से अधिक थीं। इस प्रकार विद्वान वकील ने वर्तमान मामले में दिए गए साक्ष्य के संदर्भ में प्रस्तुत किया कि 16.10.1998 और 8.7.2005 के दो प्रमाण पत्र इस संदर्भ में साबित हुए थे कि मृतक भावी संभावनाएं उसे 14,000 रुपये से 17,000 रुपये प्रति माह की सीमा में सकल वेतन की हकदार बनातीं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि दूसरा प्रमाणपत्र पहले प्रमाणपत्र से 7 साल के अंतराल के बाद 8.7.2005 का है, लेकिन तब यह अधिक यथार्थवादी अनुमान होगा कि उस पद पर रहने वाला व्यक्ति उस समय क्या कमा रहा होगा। बीमा कंपनी के पास कोई खंडन साक्ष्य नहीं है और हमें इन प्रमाणपत्रों पर संदेह करने का कोई कारण नहीं दिखता। इस प्रकार, ट्रिब्यूनल का मूल्यांकन वर्तमान मामले में दिए गए सबूतों पर आधारित है। जैसा कि ऊपर देखा गया है, यदि साक्ष्य इस प्रकार हैं तो मानकीकृत प्रतिशत भिन्न होने में सक्षम है।

12. इस प्रकार, हमारा विचार है कि उपरोक्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य और कानूनी स्थिति को देखते हुए, ट्रिब्यूनल को 100 प्रतिशत की वृद्धि देना और भविष्य की संभावनाओं को 12,000 रुपये प्रति माह लेना उचित था।

13. दूसरा पहलू कटौती के प्रतिशत से संबंधित है। वास्तव में हमारे सामने इस बात पर गंभीरता से विवाद नहीं किया जा सकता है कि यह मानते हुए कि मृतक के दो माता-पिता जीवित हैं, 50 प्रतिशत राशि मृतक के व्यक्तिगत और रहने के खर्च के रूप में काट ली जाए। जब मृतक अविवाहित या विधवा हो, जैसा कि वर्तमान मामले में नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के फैसले के मद्देनजर है, जिसने सरला वर्मा की स्थिति की पुष्टि की है। इस प्रकार, उच्च न्यायालय द्वारा व्यक्तिगत खर्चों का प्रतिशत 50 प्रतिशत तक बढ़ाना उचित था, न कि 1/3 जैसा कि ट्रिब्यूनल ने कहा था।

14. अब अंतिम पहलू पर आते हैं, यानी, पारंपरिक प्रमुख, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में, संपत्ति के नुकसान के लिए इसे 15,000 रुपये पर मानकीकृत किया गया है; कंसोर्टियम के नुकसान के लिए 40,000 रुपये (वर्तमान मामले में प्यार और स्नेह की हानि) और अंतिम संस्कार के खर्च के लिए 15,000 रुपये। इस प्रकार, कुल राशि 70,000 रुपये होगी, जिसे

अस्वीकरण
"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

उक्त निर्णय के अनुसार हर तीन साल की अवधि में 10 प्रतिशत की दर से बढ़ाया जा सकता है। हालाँकि, हम अभी भी तीन साल की खिड़की के भीतर हैं।

15. उपरोक्त का परिणाम यह है कि व्यक्तिगत खर्चों के लिए 50 प्रतिशत राशि काटने के बाद और भविष्य में आय में वृद्धि के लिए 100 प्रतिशत जोड़ने पर हम 6,273 रुपये प्रति माह के आंकड़े पर वापस आ जाएंगे, जिस पर 18 का गुणक लागू करना होगा। रकम 13,54,968 रुपये बनेगी। पारंपरिक मदों के तहत राशि 70,000 रुपये होगी, यानी 14,25,000 रुपये में पूर्णांकित कुल 14,24,968 रुपये होगी। ब्याज का पुरस्कार ट्रिब्यूनल द्वारा दिए गए 12 प्रतिशत की दर से जारी रहेगा।

16. हम दो दशकों की मुकदमेबाजी को भी देख सकते हैं, जिसमें अपीलकर्ताओं को उनके कारण राशि का दावा करने के लिए विभिन्न मंचों से गुजरना पड़ा है और हमारा विचार है कि उन्हें उन लागतों का हकदार माना जाना चाहिए जिनका हम 25,000 /- रुपये आकलन करते हैं।

17. इस प्रकार, हम पूर्वोक्त शर्तों में उपरोक्तानुसार निर्धारित लागत के साथ अपील की अनुमति देते हैं।

निधि जैन

अपील स्वीकृत।

Sandeep Kumar Jaiswal, Advocate
Enrollment No.UP-5956/2018
AOR No.A/S-0328/2019

Sandeep

अस्वीकरण
"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"